अतितात्काळ/कालमर्यादा

क्र.पोमसं/२८-अ/४९३७/वैद्य.तपासणी-बीपीसीएल्/२१७/२०१६ मुंबई, दिनांक :५ .११.२०१६

**विषय :-** वैद्यकीय तपासणी
४५ वर्षे वयावरील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांची

* * * * *

राज्य पोलीस दलात कार्यरत असलेल्या ४५ वर्षे वयावरील पोलीस अधिकारी/कर्मचारी तसेच लिपिक वर्गीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी भारत पेट्रोलियम कोर्पो.लि. या कंपनी तर्फे प्रत्येक जिल्ह्याचे ठिकाणी आयोजित करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने सर्व पोलीस घटक प्रमुखांनी खालील प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश देण्यात येत आहेत :-

१. घटकाचे आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या व वय वर्षे ४५ व त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करावी.

२. ती यादी जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या पोलीस आयुक्तांकडे व जेथे पोलीस आयुक्तालय नसेल अशा जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या पोलीस अधीक्षकांकडे दि.१५.११.२०१६ पर्यंत पाठवावी

३. त्या घटक यादीतील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची **फक्त एकुण संख्या या कार्यालयास १५.११.२०१६ पर्यंत पाठवावी.**

४. जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या पोलीस आयुक्त यांनी व ज्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय नाही अशा जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या पोलीस अधीक्षक यांनी त्या जिल्ह्याचे हद्दीत असलेल्या पोलीस आयुक्तालय, जिल्हा ग्रामीण पोलीस, रारापोबल गट, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र व गु.अ.वि., रा.गु.वि., अे.सी.बी. यांचे आस्थापनेवरील घटक कार्यालयातील ४५ वर्षे वयावरील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची संख्या भारत पेट्रोलियम कार्पो. लि. चे राज्यस्तरीय समन्वयक श्री अे.अेल. कृष्णन् (मोबईल क्र.९८६९२८२९४८) यांचेशी संपर्क साधून त्यांना किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या त्या जिल्ह्याच्या नोडल ऑफिसर यांना दयावी.

५. सदर वैद्यकीय तपासणी मोहिम यशस्वी करण्यासाठी प्रत्येक घटक प्रमुखांनी एका पो.नि. दर्जाच्या अधिकाऱ्याची समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) म्हणून नेमणूक करुन त्यांचे नांव व मोबाईल क्रमांक या कार्यालयास तसेच जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील समन्वयक (कोऑर्डिनेटर) यांचेकडे पाठवावी.

६. जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या पोलीस आयुक्त/ पोलीस अधीक्षक यांनी त्या त्या जिल्ह्यातील विविध पोलीस आस्थापनेवरील ४५ वर्ष व त्यावरील वयाच्या अधिकाऱ्यांची/कर्मचाऱ्यांची

संख्या विचारात घेवुन वैद्यकीय तपासणी १ दिवसात किंवा २ ते ३ दिवसात पूर्ण होईल यासाठी पुरेशी व्यवस्था करावी.

७. जिल्ह्यातील प्रत्येक घटक प्रमुखांनी त्यांचे आस्थापनेवरील ४५ वर्ष व त्यावरील वयाच्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना खालील नमुन्यामध्ये वैद्यकीय तपासणीसाठी वैयक्तीक पत्र दयावे. ते पत्र दाखविल्यानंतरच त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात येईल :-

१) घटकाचे नांव

२) अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांव व हुद्दा

३) नेमणूकीचे ठिकाण

४) वैद्यकीय तपासणीच्या दिनांक

५) घटक प्रमुख/ कार्यालय प्रमुखांची सही

२. अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करताना सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये त्याबाबतची माहिती वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून भरुन न घेता कार्यालयाने भरावी व ते विवरणपत्र त्या अधिकाऱ्याच्या/ कर्मचाऱ्याच्या/ सेवापुस्तका सोबत / सेवा अभिलेखामध्ये ठेवावी अशा प्रकारे प्रत्येक वर्षी वैद्यकीय तपासणी करुन तसा अहवाल अद्ययावत ठेवावा.

३. सदरची वैद्यकीय तपासणी भारत पेट्रोलियम कोर्पो. लि. या कंपनी मार्फत जानेवारी २०१७ मध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्याच्या ठिकाणी करण्यात येणार असल्याने त्याबाबतची पूर्वतयारी १५ डिसेंबर २०१६ पर्यंत होणे आवश्यक असुन त्याची पूर्ण जबाबदारी जिल्ह्याच्या ठिकाणच्या पोलीस आयुक्त व ज्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी पोलीस आयुक्तालय नाही त्या जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांची राहील याची नोंद घ्यावी.

४. सर्व घटक प्रमुखांना पुन्हा सूचित करण्यात येते कि वरील परिच्छेद १ मधील अ.क्र.३ येथील नमुद माहिती या कार्यालयास दिनांक १५.११.२०१६ पर्यंत निश्चितपणे सादर करावी.

( डॉ.प्रज्ञा सरवदे )
अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन),
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.

प्रति,

सर्व पोलीस आयुक्त
सर्व पोलीस अधीक्षक (जिल्हा व रेल्वे)
सर्व समादेशक, रारापोबल गट क्र.१ ते १६
सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र.

814D:/ADMIN/Desktop/28-A/Memo.doc

उपसंचालक डी.टी.एस. नाशिक

प्रत, आवश्यक त्या तात्काळ कार्यवाहीसाठी

महासंचालक अे.सी.बी. म.रा., मुंबई (सस्नेह)

अपर पोलीस महासंचालक, गु.अ.वि. म.रा., पुणे

अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके/ रारापोबल/ वाहतूक/ विशेष कृती/ द.वि.प./ लोहमार्ग मुंबई

आयुक्त, रा.गु.वि., म.रा., मुंबई

अपर पोलीस महासंचालक व संचालक पोलीस बिनतारी संदेश म.रा., पुणे

संचालक म.पो.अ. नाशिक/ महाराष्ट्र गुप्तवार्ता प्रबोधिनी पुणे.

सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक

विशेष पोलीस महानिरीक्षक. रारापोबल पुणे/ नागपूर/ मो.प. पुणे/ वि.सु.वि मुंबई/ फोर्स वन मुंबई/ न.वि.अ. नागपूर

पोलीस उप महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, कॅम्प नागपूर

# PRECRIBED MEDICAL INFORMATION OF EMPLOYEES

| Sr. | NAME IN FULL | BUCKLE NO | DESIGNATION EMPLOYEE CODE | AGE | BLOOD GROUP | BMI | DIABETIC/ NON-DIABETIC | HYPERTENSIVE NON-HYPERTENSIVE | WHETHER HEART PATIENT (ANGIO PLASTY/ BYPASS) | ANY SIGN OF MENTAL AILMENT | ANY OTHER DISEASE | NO DISEASE | ANY ADDICTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |